

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

जयपाल कारेला बनाम मोमनराम झाडी

दावा बाबत :- 88 RACT

मुकदमा नम्बर :- 158/2020

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

वादी की ओर से वकील दिवान सिंह एस की व प्रतिवादी सं0.1.ता.5. की ओर से वकील जाकिर ए.मो. एस की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेही मौजा मालकम के खाला सं. 114/108 के खसरा सं. 159 की 1.0370 हे०, खसरा सं. 311 की 4.6160 हे०, खसरा सं 326 की 1.9850 हे०, खसरा सं. 351/1 की 2.5300 हे० कुल खसरा 10.1630 हे० प्रतिवादी सं. 1 मोमनराम के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त शक्ति में प्रतिवादी सं. 1 मोमनराम का नाम कलमखन किता जाकर वादी जयपाल कारेला प्रतिवादी सं. 2 रामासिंह, प्रतिवादी सं. 3 दौलतराम को वही खाता करार के कार्रकार घोषित किता जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 ने अपना सम्पूर्ण एक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पत्र में त्याग कर शून्य कर लिखा है। इसलिए त्याग विधि एवं हिस्से पर पंजीयन विभाग को दिए पंजीयन शून्य एवं हत्या मुक्त होने पर उपरोक्त शक्ति बैंक के खतन है ली खतन किता जाते/राजिनामा को डिडी का भाग पदा जाते।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हुनुमानगढ़
2021